

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय - न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

प्रार्थी

अप्रार्थीगण

मदनलाल

बनाम

लक्ष्मी व अन्य

ख्या 201/24 2024/451 (02)

प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

क  
या  
ही  
24

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष  
विवरण

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रार्थी के अधिवक्ता धारा सिंह गुर्जर द्वारा विरुद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण के जरिये नोटिस साधारण/जरिये रजि0 डाक ए.डी. जारी होकर पत्रावली दिनांक 06/12/2024 को पेश हो।

1201  
22/11/24

उपखण्ड अधिकारी  
बस्सी, जयपुर

6/12/24 पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दार/कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्य नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 14/2/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
बस्सी जिला-जयपुर

8/1/25 पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दार/कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्य नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 14/2/25 को पेश हो।

2/25 पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दार/कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्य नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 5/3/25 को पेश हो।

5/1/25 पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दार/कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्य नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 21/4/25 को पेश हो।

1/25 पत्रावली पेश। वकील एवं पट्टाभर (अनुपस्थित) बार-बार-बार आवाज के कोई हजिर न्यायालय नहीं आये हैं। अतः प्रा. पत्र पत्र आपस लक्ष्मी व अन्य परकी में खारिज किया जा रहा है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दायित्व दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी  
बस्सी जिला-जयपुर